

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940 No. 2181] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2018

का.आ. 2412(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतदद्वारा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त एक समिति का गठन करती है नामश:

1.	विशेष सचिव/अपर सचिव,	अध्यक्ष
	पशु कल्याण प्रभारी, भारत सरकार,	
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	
2.	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण),	उपाध्यक्ष
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	
3.	भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), बल्लभगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	डॉ. सुरेश पोथानी,	सदस्य
	आईसीएमआर के प्रतिनिधि,	
	प्रभारी निदेशक और वैज्ञानिक 'जी',	
	आईसीएमआर- राष्ट्रीय पशु संसाधन जैव-चिकित्सा अनुसंधान सुविधा, हैदराबाद	

3331 GI/2018 (1)

10.	प्रोफेसर अस्मिता गजभिये, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,	सदस्य
	भेषज विज्ञान विभाग,	
	डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	
11.	प्रोफेसर आलोक धवन, निदेशक,	सदस्य
	सीएसआईआर- भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
12.	डॉ. अनुराग अग्रवाल, निदेशक,	सदस्य
	सीएसआईआर- इंस्टिट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एण्ड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली	
13.	डॉ. राम विश्वकर्मा,	सदस्य
	निदेशक, सीएसआईआर- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू	
14.	डॉ. प्रदीप कुमार यादव,	सदस्य
	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी,	
	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
15.	डॉ. एस.जी. रामाचन्द्रा,	सदस्य
	मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक,	
	केन्द्रीय पशु सुविधा, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू	
16.	डॉ. सुबीर एस. मजुमदार, निदेशक,	सदस्य
	राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	
17.	प्रोफेसर डॉ. एम. रामाचन्द्रा मोहन,	सदस्य
	प्रोफेसर, प्राणि-विज्ञान विभाग, बंगलुरू विश्वविद्यालय	
18.	प्रोफेसर मदन मोहन चतुवेर्दी,	सदस्य
	प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, प्राणि-विज्ञान विभाग,	
	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	
19.	प्रोफेसर आदित्य कुमार,	सदस्य
	निदेशक, एसकेएस संस्थान, मथुरा	
20.	निदेशक/उप सचिव (पशु कल्याण)	सदस्य सचिव
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	

- 2. समिति का कार्यकाल, यदि पहले भंग न हो तो, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.503(अ), दिनांक 17.02.2016 के द्वारा पूर्व में गठित समिति, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भंग मानी जाए।

[फा. सं. 25/35/2017-सीपीसीएसईए]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से सिमिति के गठन से संबंधित पूर्ववर्ती अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 32(अ), दिनांक 10.01.2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तदन्तर इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 599(अ), दिनांक 26.05.2003, अधिसूचना सं. का.आ. 955(अ), दिनांक 21.08.2003, अधिसूचना सं. का.आ. 69(अ), दिनांक 15.01.2004, अधिसूचना सं. का.आ. 85(अ), दिनांक 25.01.2005, अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ), दिनांक 17.10.2005 और अधिसूचना सं. का.आ. 933(अ), दिनांक 21.06.2006 के द्वारा संशोधन किया गया था। सिमिति का पुन:गठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 1817(अ), दिनांक 19.10.2006 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 1328(अ), दिनांक 07.06.2010, तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2778(अ),

दिनांक 10.11.2010 के द्वारा संशोधन किया गया था। सिमिति का इसके बाद भी पुन:गठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 2041(अ), दिनांक 30.08.2012 के द्वारा प्रकाशित की गई थी। सिमिति का पुन:गठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 3506(अ), दिनांक 23.12.2015 के द्वारा पुन: प्रकाशित की गई थी। भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 3506(अ), दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में सिमिति के पुर्नगठन में संशोधन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 503(अ), दिनांक 17.02.2016 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2018

S.O. 2412(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, hereby constitutes a Committee consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1.	Special Secretary / Additional Secretary,	Chairman
	In-charge of Animal Welfare,	
	Government of India,	
	Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	
2.	Joint Secretary (Animal Welfare),	Vice Chairman
	Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	
3.	Representative from Drug Controller General of India (DCGI), New Delhi	Member
4.	Representative from Medical Council of India (MCI), New Delhi	Member
5.	Representative from Veterinary Council of India (VCI), New Delhi	Member
6.	Representative from Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi	Member
7.	Representative from University Grants Commission (UGC), New Delhi	Member
8.	Representative from Animal Welfare Board of India (AWBI), Ballabhgarh	Member
	Dr. Suresh Pothani,	Member
9.	Representative ICMR,	
	Director In Charge & Scientist "G"	
	ICMR – National Animal Resource Facility for Biomedical Research,	
	Hyderabad	
10.	Prof. Asmita Gajbhiye, Professor & Head,	Member
	Deptt of Pharmaceutical Sciences,	
	Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya, Sagar	
11.	Prof. Alok Dhawan,	Member
	Director,	
	CSIR – Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow	
12.	Dr. Anurag Agrawal,	Member
	Director,	
	CSIR – Institute of Genomics & Integrative Biology, New Delhi	
13.	Dr. Ram Vishwakarma,	Member
	Director, CSIR – Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu	
14.	Dr. Pardeep Kumar Yadav,	Member
	Senior Veterinary Officer,	
	All India Institute of Medical Science, New Delhi	
15.	Dr. S.G. Ramachandra,	Member
	Chief Research Scientist,	

	Central Animal Facility, Indian Institute of Science, Bangalore	
16.	Dr. Subeer S. Majumdar,	Member
	Director,	
	National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad	
17.	Prof. Dr. M. Ramachandra Mohan,	Member
	Professor, Deptt of Zoology, Bangalore University	
18.	Prof. Madan Mohan Chaturvedi,	Member
	Professor and Head, Department of Zoology,	
	University of Delhi, New Delhi	
19.	Prof. Aditya Kumar,	Member
	Director, SKS Institute, Mathura	
20.	Director/Deputy Secretary (Animal Welfare)	Member Secretary
	Ministry of Environment, Forests & Climate Change, New Delhi.	

- 2. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be three years from the date of its constitution.
- 3. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No. S.O.503(E) dated 17.02.2016 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/35/2017-CPCSEA] MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Note: The earlier notification constituting the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 and was subsequently amended vide Notification Numbers. S.O. 599(E) dated 26.05.2003, S.O.955(E) dated 21.08.2003, S.O.69(E) dated 15.01.2004, S.O.85(E) dated 25.01.2005, S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O.933(E) dated 21.06.2006. The Committee was again constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.1817(E) dated 19.10.2006 and amended vide notification numbers S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010. The Committee was further re-constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.2041(E) dated 30.08.2012. The Committee was re-constituted and published again in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.3506 (E) dated 23.12.2015. In supersession to the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.3506 (E) dated 23.12.2015, the constitution of the Committee was amended and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.503(E) dated 17.02.2016.